

12⁰³/₂₂

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत
के सत्र में पेश हुई। प्रकरण में
परील डिफेंडनेट ने जाहिर किया कि सदस्य
आरानी का एक रियर नाममात्र
सीमान में पेश कर दिया गया। अतः
उसके अतिरिक्त निर्णय होने तक
परील डिफेंडनेट ने इतरों को
नोटिस किया। प्रकरण में अब कोई
कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली
केवल शुमार होकर राखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

~~अध्यक्ष~~

~~सदस्य~~

राष्ट्रीय लोक अदालत नियत होने के कारण
पत्रावली पेशी में ली गई। पक्षकार/पक्षकारान कोई
भी उपस्थित नहीं है। इस कारण राजानामा सम्भव
नहीं हो सका। पत्रावली

अध्यक्ष
लोक अदालत,

~~सदस्य~~

राजानामा सम्भव नहीं हो सका। पत्रावली पेशी में ली गई। पक्षकार/पक्षकारान कोई भी उपस्थित नहीं है। इस कारण राजानामा सम्भव नहीं हो सका। पत्रावली